

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण-2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा से सेवा का नाम जिसमें वह हो- **सुनीता सिंह**
 3. वर्तमान वेतन- **रू. 1,42,700 + D.A.**

2. वर्तमान धारित पद- **संयुक्त संचालक**
 4. आगामी वेतन वृद्धि की तारीख- **01-07-2025**

उस जिले, उप सभाग का तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें वह स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया है। खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उस का नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
भोपाल,	आवासीय फ्लेट, शाहपुरा भोपाल	-----	रू. 25.00 लाख	यह सम्पत्ति पति श्री प्रदीप भदौरिया के नाम से है।	MPEB से Loan द्वारा 1990 में BDA से कय किया गया।	-----	-----
भोपाल	आवासीय मकान, शाहपुरा भोपाल	50x80 का भूखण्ड, बी-272 शाहपुरा, भोपाल	रू. 30.00 लाख (लगभग)	संयुक्त सम्पत्ति है, यह मेरी माता, मेरे पति एव स्वयं के नाम पर है।	बाग मुगालिया स्थित भू-खण्ड 50x80 एवं ई-7 स्थित भूखण्ड 50x60 को विक्रय कर भूखण्ड खरीदा गया है, यह भूखण्ड श्री संदीप माहेश्वरी का था।	स्वयं के निवास हेतु उपयोग में	-----
भोपाल	वाणिज्यिक एवं आवासीय भवन बी-213, एम.पी नगर, भोपाल	-----	रू. 30.00 लाख (लगभग)	यह सम्पत्ति संयुक्त रूप से मेरे ससुर एवं मेरे नाम थी दिनांक 07.07.2011 को उनका देहान्त होने के कारण अब यह सम्पत्ति विधि अनुसार मेरे एवं मेरे पति के नाम पर है।	P.N.B. से Loan लिया है. यह सम्पत्ति श्रीमती ग्रेबीला की थी	रू. 2.40 लाख (लगभग)	इस आय से Loan चुकाया जाता है।
भोपाल	आवासीय वाणिज्यिक भूखण्ड	26X60 1500 वर्गफिट	रू. 72.00 लाख लगभग	स्वयं के नाम	आदित्य इस्टेट एवेन्यू से बैंक ऋण लेकर कय किया गया।	-----	-----

* जहां लागू न हो काट दिजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी :- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर.....

नाम- सुनीता सिंह
पद नाम - संयुक्त संचालक

21/1/25

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष-2024-2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो- नीरज आनंद लिखार, 2. वर्तमान धारित पद- मुख्य नगर निवेशक, नगर पालिक निगम, इन्दौर
3. वर्तमान वेतन रूपये.....अगली वेतनवृद्धि की तारीख.....

इस जिले, उप संभाग, तालुक तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	इसे किस प्रकार अर्जित किया। ***खरीद, पट्टा बंधक विरासत भेज या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो, उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
01	02	03	04	05	06	07	08
इन्दौर ग्राम खजराना	प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ क.-201 एवं 202 ब्लाक बी द्वितीय तल शुभ लाम प्राइम इन्दौर	लगभग 85.0 लाख	श्रीमति जूही लिखार (पत्नि) एवं स्वयं के नाम पर दर्ज	एच.डी.एफ.सी. बैंक से ऋण द्वारा 2016 में डॉ. अफजल अली खजराना से कय किया गया।	-	म.प्र.शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा प्रकोष्ठ कय स्वीकृत पत्र कं. एफ-7-29/2015/18-5 भोपाल दिनांक-16.05.2016
भोपाल मालीखेडी तहसील हुजूर	-	भूमि	64.0 लाख (सयुक्त रूप से कय)	श्रीमति जूही लिखार (पत्नि) एवं अन्य के साथ सयुक्त रूप से धारित है।	पुर्व में अचल संपत्ति का विवरणों में द्योषित अनुसार वर्ष 2012-13 में कय भूक.524-ए भो.वि.प्रा. गोंदरमउ को वर्ष 2022 में विकय कर अन्य धारक के साथ सयुक्त रूप से अर्जित की गई है।	-	संचालक नग्रानि द्वारा 2009 को प्रदाय स्वीकृती व पुर्व वर्षों में अचल संपत्ति का विवरणों में द्योषित/विवरणो अनुसार वर्ष 2012-13 को भूक.524-ए भो.वि.प्रा. की गोंदरमउ को वर्ष 2022 में विकय कर अन्य के साथ सयुक्त रूप से अर्जित की गई है।

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर.....
नाम:- नीरज आनंद लिखार
पद:- मुख्य नगर निवेशक,
नगर पालिक निगम, इन्दौर

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो डॉ. शुभाशीष बैनर्जी, 2. वर्तमान धारित पद संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय इन्दौर
3. वर्तमान वेतनमान 128000/- (बेसिक) अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
जिला भोपाल ग्राम बदरखा सड़क		कृषि भूमि 2.00 एकड़	ज्ञात नहीं	स्वयं	वर्ष 1991 में शासकीय सेवा में आने के पूर्व अर्जित की गई।	रूपये 1.95 लाख	
जिला भोपाल ग्राम बरखेड़ा बोन्दर		कृषि भूमि 8.00 एकड़	ज्ञात नहीं	स्वयं	वर्ष 1991 में शासकीय सेवा में आने के पूर्व अर्जित की गई।		
जिला भोपाल, चूनाभट्टी	आवासीय भवन		ज्ञात नहीं	पत्नी श्रीमती सुष्मिता बैनर्जी	भूखण्ड वर्ष 2002 में पारिका गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित से क्रय कर वर्ष 2005 में भवन निर्माण किया गया।	रूपये 4.41 लाख (किराया)	संचालनालय से भूखण्ड क्रय करने के लिये पत्र क्रमांक 9708 दिनांक 31/01/2002 को एवं भवन के लिये दिनांक 01/10/2004 को अनुमति प्राप्त।
जिला भोपाल, शहर भोपाल	आवासीय चैम्बर 23.25 वर्गमीटर		ज्ञात नहीं	पत्नी एवं पिता श्री एस.के. बैनर्जी के संयुक्त नाम से	माताजी श्रीमती विनोती बैनर्जी द्वारा दिनांक 30/08/2006 को सम्पत्ति हस्तांतरित की गई।	रूपये 1.08 लाख (किराया)	दिनांक 30/08/2006 को सूचना दी गई।
जिला मुम्बई, उप नगर चांदीवली	फ्लैट (78.13 वर्गमीटर)		ज्ञात नहीं	स्वयं	दिनांक 27/08/2018 को ग्राम बाबड़िया कला स्थित 0.101 हे० भूमि विक्रय से प्राप्त राशि से दिनांक 16.04.2019 को क्रय किया गया।	रूपये 6.00 लाख (किराया)	26/09/2019 को दी गई सूचना पर शासन के पत्र क्रमांक एफ 7-5/2019/18-5 दिनांक 14/06/2019 द्वारा सूचना प्राप्त की जानकारी दी गई।
जिला भोपाल, शहर भोपाल	आवासीय भवन		ज्ञात नहीं	पत्नी (श्रीमती सुष्मिता बैनर्जी)	ससुर श्री ए.के.बागची की मृत्यु उपरान्त वसीयत के माध्यम से दिनांक 01/10/2021 को प्राप्त महाकाली सोसाइटी के निर्मित भवन को विक्रय कर प्राप्त राशि से क्रय किया।	रूपये 2.70 लाख (किराया)	नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र क्रमांक UDH/0003/2024/18-5 भोपाल दिनांक 30/01/2024 के माध्यम से भूखंड क्रय किये जाने की सूचना ग्राह्य की गई।

जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी :- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक आचरण नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि, वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

हस्ताक्षर

नाम:- डॉ. शुभाशीष बैनर्जी

पदनाम:- संयुक्त संचालक, नगानि इन्दौर

फार्म
प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण-वर्ष-2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो- चन्द्रकान्त साधव
2. वर्तमान धारित पद- संयुक्त संचालक पदेन उप सचिव
3. वर्तमान वेतन- रु. 1,38,500/-
4. आगामी वेतन वृद्धि की तारीख- जुलाई-2025

उस जिले, उप संभाग का, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें वह स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी का क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया है। खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार के तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उस का नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
भोपाल	HIG-24 गौतम नगर, भोपाल	-	रु. 160.00 लाख (लगभग)	स्वयं के नाम पर	म.प्र. गृह निर्माण मण्डल से क्रय	स्वयं के निवास हेतु उपयोग	म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पत्र क्र.-23/4629/ 07/32 दिनांक-20.01.2008 द्वारा अनुमति प्राप्त
इन्दौर	भूखण्ड/भवन 82-ए बसंत विहार, इन्दौर	-	रु. 125.00 लाख (लगभग)	पत्नी एवं स्वयं के नाम पर	27 जुलाई 2015 में क्रय	निरंक	म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र क्र.एफ-7-28/2015/18-5 दिनांक-25.12.2015 द्वारा अनुमति प्राप्त भवन निर्माण की सूचना दिनांक-23.01.2018 को दी गई

' जहां लागू न हो काट दिजिए।

'' ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

''' इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी :- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर.....

नाम- चन्द्रकान्त साधव

पदनाम- संयुक्त संचालक पदेन उप सचिव

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो डॉ. अमित कुमार जलमिसे
संचालन विभाग, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग म.प्र.
 2. वर्तमान धारित पद संयुक्त संचालक
 3. वर्तमान वेतन 1,20,700 + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2025

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. प्रकौट (फ्लैट) जिला-भोपाल म.प्र.	फ्लैट	—	लगभग 76,000/-	स्वयं के नाम पर	अकृमति प्राप्त कर बैंक से क्रेता के रूप में खरीदने से हाउसिंग बोर्ड से क्रेय किया गया।	स्वयं - 4,56,000/- वार्षिक आय प्राप्त।	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचाम यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर अमित कुमार जलमिसे
 नाम डॉ. अमित कुमार जलमिसे
 पद संयुक्त संचालक

फार्म
प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण-वर्ष-2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो- विष्णु खरे
3. वर्तमान वेतन- रु. 1,38,500/- + महंगाई भत्ता

2. वर्तमान धारित पद- संयुक्त संचालक
4. आगामी वेतन वृद्धि की तारीख- जुलाई-2025

उस जिले, उप संभाग का, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें वह स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि संबंध के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी का क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया है। खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार के तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उस का नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
1- इन्दौर	-	आवासीय प्लॉट महालक्ष्मी नगर 1000 वर्गफीट	-	स्वयं	दादीजी से प्राप्त	निरंक	-
2- भोपाल	बी-67 शाहपुरा में 45X80 के प्लॉट पर निर्मित भवन	-	-	बड़े भाई के साथ संयुक्त रूप से धारित।	पिताजी का स्वर्गवास के बाद मेरे और बड़े भाई के नाम नामांतरण से	15000/- प्रति माह किराए से	-
3- ग्वालियर	बी-208 में सैफायर होम में एक फ्लैट	-	-	स्वयं	शासन से अनुमति लेकर एवं बैंक से लोन लेकर मार्च-2012 में क्रय किया	12500/- प्रति माह किराए से	-
4- ग्राम खरवई जिला विदिशा	-	खसरा नं. 13 में से रकबा 1.672 हेक्टे.	-	स्वयं	शासन से अनुमति लेकर एवं बैंक से लोन लेकर 26.04.2019 को क्रय की गई।	2,00,000/- प्रतिवर्ष	-
5- इन्दौर	कनक ऐवन्यू ग्राम लसुडिया मोरी में 1150 वर्गफीट प्लॉट ए-78	प्लॉट	-	स्वयं	शासन से अनुमति लेकर परिवारजनों से राशि लेकर दिनांक 24.02.2020 को क्रय किया गया।	-	-
6- भोपाल	-	ग्राम बरखेड़ीखुर्द खसरा क्र. 11/2/3/7(s), 12, 14 की 0.1050 हेक्टे. भूमि	-	स्वयं के नाम से	माताजी के स्वर्गवास उपरांत बसीयत अनुसार प्राप्त हुई	-	-

' जहां लागू न हो काट दिजिए।

- " ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
" इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी :- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर.....

नाम- विष्णु खरे
पदनाम- संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश, उज्जैन

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो इंदौर विकास प्राधिकरण 2. वर्तमान धारित पद (मुख्य नगर मिथोपक)
3. वर्तमान वेतन ₹. 7,001-बेसिक अगली वेतनवृद्धि की तारीख 7. फ़रवरी 2025 अध्यक्ष अंचालक, नग. मि.

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
इंदौर	घर	भवन	80-40 लाख	स्वयं स्वयं पति श्री सुकुल वसंत लोचरे	बैंक से लोन लेकर	स्वयं मिला करते हैं	

हस्ताक्षर

Bochari

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परचा यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाधित्व को तथा उसने द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

नाम

श्रीमती रत्ना लोचरे

पद

मुख्य नगर मिथोपक,
इंदौर विकास प्राधिकरण,
इंदौर (म.प्र.)

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

उप संचालक, न. गा. नि. म. प्र. एवं
पटवर्ष अवर सचिव नगरीय विकास
मंत्रालय विभाग

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

सुप्रिया पंडक

2. वर्तमान धारित पद

3. वर्तमान वेतन 110,500/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 July 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला - मीरजापूर संभाग - मीरजापूर तहसील - डुण्डु ग्राम - मीरजापूर	फ्लैट 3 ^{वां} फ्लोर 2/7 "अशोक" शाहीमार्ग इन्कवा E-3 अरेबा कालोनी मीरजापूर	जिबंक	नगरपालिका 16.50 लख रुपये	फ्लैट समुक्त रूप से ① अजय पंडक (पति) एवं ② सुप्रिया पंडक (स्वयं) के नाम धारित है	फ्लैट में शाहीमार्ग किडर मीरजापूर दिनांक 08-02-1993 का क्रय किया गया।	जिबंक	अचल फ्लैट में एम स्वयं रहते हैं।

- जहां लागू न हो काट दीजिए।
 - ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 - इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचाम यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर ... सुप्रिया पंडक
21/7/2025

नाम सुप्रिया पंडक
पद उप संचालक, न. गा. नि. म. प्र.
मंत्रालय अवर सचिव नगरीय विकास
मंत्रालय विभाग

24201/04/03/025

कार्यालय
 तहसील कार्यालय नगर तथा ग्राम विकास
 जिला कार्यालय सिंगरौली (म.प्र.)

GAD Form (W) I

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, राफ

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

इन्द्र नारायण

2. वर्तमान भातित पद का नाम (अनुसूचित) श्रेणी

3. वर्तमान वेतन

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

07/01/2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर प्राप्त है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	इसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभिवृत्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल, म.प्र.	प्रतिमा एच. आर. ली सीमा शर्मा मि. 205	मि. 205	20/- लाख लाखों	स्वयं के नाम पर	एच. आर. ली, सीमा शर्मा लॉन, एल. आई 24/अप्रैल 1984	निरा	नि

* जहाँ लागू न हो कार टीकर।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान संपत्ति के मूल्य में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : साम्प्रदाय शासकीय सेवकों (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परवान पर धारण-पत्र पर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थानित की तथा उससे द्वारा अर्जित आय या विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अर्जित आय के नाम पर पट्टे या बंधक पर उससे द्वारा प्राप्त समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

दिनांक 07/01/2025
 INDER NARAIN
 Deputy Director, Planning
 TOWN & COUNTRY PLANNING
 District Office, Singrauli (M.P.)
 District - Singrauli (M.P.)


फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष जनवरी 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो: अन्नीता कुरोडे 2. वर्तमान धारित पद: उप संचालक
 3. वर्तमान वेतन: 90,400/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख: जुलाई 2025

उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	वसे किस प्रकार अर्जित किया गया ... खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1) मोपल (ओल्ड अरकोवा वाईन)	मकान	-	40.0 लाख की अनुमानित लागत	स्वयं के नाम पर	पिता का मकान दान द्वारा उपलब्ध रहित 14-11-11 को प्राप्त हुआ	7.50 लाख	पैक द्वारा होम लोन 24 लाख फ्लैट विक्रय से प्राप्त राशि 20 लाख स्वयं की व्यय से
2) इंदौर	-	प्लॉट	47,80,980	स्वयं के नाम से	इं.कि. जा. की योजना में लीन पर आवासीय प्रकल्प निविदा के माध्यम से दि. 29.9.11 को प्राप्त हुआ	-	आ. सं. पर्यटन के पत्र क्र. 7-56/201 भाषा दि. 6-2-11 द्वारा अनुमति प्राप्त की
3) इंदौर	फ्लैट	-	29,16,288	स्वयं के नाम से	माताजी द्वारा इंदौर स्थित फ्लैट दि. 26-12-19 को दान में उपलब्ध रहित प्राप्त हुआ	-	

जहां लागू न हो काट दो।
 ऐसे मामले में जहां मूल्य का सहो-सहो निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में त्साभग मूल्य बतलाया जाए।
 इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परचाय पर धारण-पत्र पर का प्रस्तुत करें और उक्त वह उनके स्वामित्व की तथा उससे द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर: 
 नाम: अन्नीता कुरोडे
 पद: उप संचालक

अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2025 (1 जनवरी 2025 की स्थिति में)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो- **जयवर्धन राय**
 2. वर्तमान धारित पद **उप संचालक (योजना), संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल म.प्र.**
 3. वर्तमान वेतन **रूपये 15600-39100 ग्रेड वेतन रु. 6600/-**
 4. अगली वेतन वृद्धि की तारीख **1 जनवरी 2025**


उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईए कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया " खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई है उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	घर तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम-पिपराई गांव तह. मगांवली जिला-अशोक नगर	---	लगभग 1.8053 हैक्टे. सिंचित कृषि भूमि	लगभग रु. 14 लाख (कलेक्टर गाइडलाइन 2024-25 अनुसार)	स्वयं एवं माता	शासकीय सेवा में आने के पूर्व से ही विरासत से प्राप्त (शासकीय सेवा में आने के पश्चात अर्जित अचल संपत्ति - निरंक)	लगभग 2.50 लाख	निरंक
चूनाभट्टी, भोपाल	भवन	---	लगभग रु. 60 लाख (कलेक्टर गाइडलाइन 2024-25 अनुसार)	स्वयं एवं भाई (हक-त्याग अभिलेख द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को समर्पित)	शासकीय सेवा में आने के पूर्व से- वर्ष 2004 में स्वयं एवं भाई की कृषि आय से क्रय कर कुल कीमत रु. 3.95 लाख (सेल डीड/कलेक्टर गाइडलाइन 2004-05 अनुसार) (शासकीय सेवा में आने के पश्चात अर्जित अचल संपत्ति - निरंक)	निरंक	निरंक

टीप:-

मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है। कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें, और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

स्थान: भोपाल, म.प्र.

दिनांक: 30/01/2025

हस्ताक्षर  30/01/2025

नाम: जयवर्धन राय

पद: उप संचालक (योजना), संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल

अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष जनवरी 2025

1 अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो	:	काजेसिंह गवली
2 वर्तमान धारित पद	:	उप संचालक
3 वर्तमान वेतन	:	80300/-
4 अगली वेतनवृद्धि की तारीख	:	1 जनवरी 2025

उप जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
धार	-	ग्राम सालखेड़ा पो0 लोणी तहसील कुक्षी जिला धार स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 19/1, 17/6 व 167/2 कुल रकबा 1.521 हे.	20 लाख	पिता श्री मंगलसिंह गवली जो कि स्वयं आयकरदाता है, के नाम वर्ष 2012 के पूर्व पैतृक कृषि भूमि	पिता श्री मंगलसिंह गवली जो कि स्वयं आयकरदाता है, के नाम से वर्ष 2012 के पूर्व की पैतृक कृषि भूमि है।	1.0 लाख	-
धार	ग्राम सालखेड़ा पो0 लोणी तहसील कुक्षी जिला धार स्थित भवन	-	10 लाख	पिता श्री मंगलसिंह गवली जो कि स्वयं आयकरदाता है, के नाम वर्ष 2012 के पूर्व पैतृक भवन	पिता श्री मंगलसिंह गवली जो कि स्वयं आयकरदाता है, के नाम से वर्ष 2012 के पूर्व की पैतृक भवन है।	-	-
इंदौर	प्रकोष्ठ क0 बी-205 रौनक प्रथम पेराडाईज अपार्टमेंट, कनाड़िया रोड़, इन्दौर, बिल्टप एरिया 1150 वर्ग फीट	-	20.70 लाख	स्वयं के नाम पर	1. विभागीय अनुमति प्राप्त कर पूर्व से धारित भू-खण्ड के विक्रय से प्राप्त राशि 18,00,000/- रु. 2. एच.डी.एफ.सी. इन्दौर से प्राप्त आवास ऋण राशि 2,70,000/- रु. 3. उक्त प्रकोष्ठ मेसर्स नाकोड़ा रियालिटीज श्री अनिल धाकड़ से दिनांक 21.12.2018 को कय किया गया।	-	संचालनालय भोपाल के पत्र क्रमांक 6837 दिनांक 20.11.2018 से अनुमति प्राप्त कर कय किया गया।

(Handwritten Signature)


इंदौर	भूखण्ड क्रमांक A-82 कनक एवेन्यु कॉलोनी, ग्राम लसूड़िया मोरी, इंदौर कुल क्षेत्रफल 1125 वर्गफीट भूखण्ड	-	8 लाख 98 हजार 150	श्रीमति शीला गवली (पत्नी)	1. श्रीमति शीला गवली जो कि स्वयं आयकर दाता है के द्वारा स्वयं के व्यवसाय से प्राप्त आय की बचत से उनके बैंक खाते से 8,98,150/- रु. चेक के माध्यम से भुगतान किया गया। 2. उक्त भूखण्ड श्री राम कुमार गोयल से दिनांक 03.07.2020 को कय किया गया	-	-
धार	-	ग्राम देवलरा तहसील मनावर स्थित कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 52/1 कुल रकबा 0.759 हेक्टेयर	10 लाख	श्री मंगलसिंह गवली (पिता) एवं श्रीमति शीला गवली (पत्नी) के संयुक्त नाम से	1. श्रीमती शीला गवली द्वारा स्वयं के व्यवसाय से प्राप्त आय की बचत से उनके बैंक खाते से 5,00,000/- रु. चेक के माध्यम से भुगतान किया गया। शेष राशि 5 लाख रु. मेरे पिता श्री मंगल सिंह गवली द्वारा स्वयं की आय की बचत से चेक के माध्यम से भुगतान किया गया। (मेरी पत्नि एवं पिता स्वयं आयकरदाता है।) 2. उक्त भूमि श्री मानसिंह चौहान से दिनांक 12.03.2021 को कय कि गयी।	-	-

हस्ताक्षर :

नाम :

पद :

दिनांक :



काजेशिंह गवली

उप संचालक

10/1/2025

24/1/25
जनवरी-2025

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

इंदु त्रिपाठी

2. वर्तमान धारित पद सहायक संचालक

3. वर्तमान वेतन

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

1. जुलाई, 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	शूखण्ड भवन		शात नहीं	पति स्वयं	- पति के पिता द्वारा दी गई शशि से - स्वयं की बचत एवं हाऊसिंग लोन से कर	निरंक	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचाम यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

Indu

नाम

इंदु त्रिपाठी

पद

सहायक संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र.

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण-2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो- **सुनील जॉन मिंज**
 3 वर्तमान वेतन **75400/+ डीए**

2. वर्तमान धारित पद- **सहायक संचालक**
 4. आगामी वेतन वृद्धि की तारीख- **जुलाई 2025**

उस जिले,उस संभाग का तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें वह स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी का क्या संबंध है ।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया है। खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किस प्रकार से तथा अर्जन की तारीखऔर जिससे अर्जित की गई हो उस का नाम तथा व्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
एल.आई.जी.-97 भारती निकेतन, गोविन्दपुरा भोपाल	आवासीय भवन	-	रु. 60,00,000/ अनुमानित	पैतृक सम्पत्ति (माता-पिता के नाम पर) जिसमें तीन भाईयों का हिस्सा है।	पिता जी द्वारा कय किया गया ।	स्वयं के उपयोग हेतु	-
फ्लेट नं. 303 टावर नं. 1 3 RD floor अवंतिका होम्स, दानिश कुंज चौराहा कोलार रोड भोपाल, भोपाल	आवासीय 3 BHK फ्लेट	-	रु. 15,00,000/	स्वयं के नाम पर है । 10 प्रतिशत राशि स्वयं के बचत से तथा 90 प्रतिशत राशि भारतीय स्टेट बैंक से ऋण लिया गया है ।	अवंतिका बिल्डर्स से कय किया गया ।	रु. 1,44,000/	-
फ्लेट नं. 304 टावर नं. 1 3 RD floor अवंतिका होम्स, दानिश कुंज चौराहा कोलार रोड भोपाल, भोपाल	आवासीय 3 BHK फ्लेट	-	रु. 15,00,000/	पत्नी श्रीमती बेनेनिया मिंज के नाम पर है । 10 प्रतिशत राशि स्वयं के बचत से तथा 90 प्रतिशत राशि भारतीय स्टेट बैंक से ऋण लिया गया है ।	अवंतिका बिल्डर्स से कय किया गया ।	रु. 96,000/	-
ग्राम -बरखेडी तहसील-श्यामपुर जिला-सीहोर खसरा क. 212/9/2		कृषि भूमि 0.3035 हैक्टर	रु. 6,50,000/	पत्नी श्रीमती बेनेनिया मिंज द्वारा कय की है। बैंक ऑफ इंडिया से गोल्ड ऋण द्वारा लिया गया है ।	नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सिद्धनाथ पाटीदार, निवासी - बरखेडी सिहोर, म.प्र. माह सितम्बर-2022 में कय किया गया ।	-	-

- जाहॉं लागू न हो उसे काट दिजिये ।
- ऐसे मामले में जहॉं मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें अल्पकॉलीन पट्टे भी हैं ।

टिप्पणी:- मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घेषण-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा विरासत में किसी या उसके अपने नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे दें।

हस्ताक्षर.....

नाम- सुनील जॉन मिंज

पद नाम - सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय धार

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो. मोहिन लाल शर्मा 2. वर्तमान धारित पद उ. उप संचालक3. वर्तमान वेतन 75000 + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1.7.25

उप जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>उप - मोहिन लाल शर्मा इन्चार्ज</u>	<u>गृह</u>	<u>-</u>	<u>2500000 रु</u>	<u>विरासत</u>	<u>विरासत</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही विवरण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवाना पत्र पर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

मोहिन लाल शर्मा
उ. उप संचालक
मोहिन लाल शर्मा

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो बड़ी उत्तम दोगरे 2. वर्तमान धारित पद सहायक लेखापति
3. वर्तमान वेतन ₹ 78,000 + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख अक्टूबर 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① ग्राम - पोरवानी सायतलगाई - नरमोल दिल्ली जिला - हरियाणा क-७	आवासीय भवन ग्राम - पोरवानी द. दिल्ली जिला - हरियाणा प्लॉट नं. 153 के सम्पत्ति विरासत	15.53 153	आवंटन नहीं किया गया	स्वयं के नाम पर	पैदा सम्पत्ति से विरासत से विरासत	लगभग 4-50 से 5.00 लाख	पैदा आवासीय भवन सम्पत्ति विरासत
② ग्राम - युवावर्कडा नरमोल दिल्ली जिला - हरियाणा क-७	—	15.26 153	आवंटन नहीं किया गया	धीरे धीरे इकट्ठा एवं अर्जित (पत्नी एवं पुत्र)	पैदा सम्पत्ति विरासत से	लगभग 4.50 से 5.00 लाख	पैदा विरासत किया इति की आम सम्पत्ति है परिवार के आम में सम्पत्ति

- जहाँ लागू न हो कार्ट दीजिए।
- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचाम यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसने द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर बड़ी उत्तम दोगरे 15/11/2025
 नाम बड़ी उत्तम दोगरे
 पद सहायक लेखापति

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्री. एन. वमा
 2. वर्तमान धारित पद सी.ई.ओ. सहायक
 3. वर्तमान वेतन 75,400/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2025

उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम सुराखेडी उह. सावेर जिला इन्धौर	भूखण्ड	-	7,50,000	स्वयं खरीद करके संयुक्त नाम से	स्वयं ही खरीद करके संयुक्त नाम से उधार एवं ब्याज	-	-
डी. एच. एफ. गाडी सिटी ग्राम सुराखेडी उह. सावेर जिला इन्धौर	-do-	-	28,50,000	स्वयं	खरीद एवं ब्याज	-	-

* जहाँ लागू न हो कार्ट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचाय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम श्री. एन. वमा
 पद सी.ई.ओ. सहायक
सहायक सचिव, नज्जानि
गोपाल (मू.प्र.)

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, राश

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो.

कविता जागर

2. वर्तमान धारित पद

सहायक संचालक

3. वर्तमान वेतन

82700/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01/07/2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो.	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
इन्दौर	गृह	-	50,00,000/- रूपय		एम लोब द्वारा	-	-
भोपाल	आवासीय प्लॉट	-	8,20,000/- रूपय		अपन एवं परिवार के सहयोग से	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसने द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

कविता जागर

सहायक संचालक

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो:- श्री विनोद कुमार परस्ते
 2. वर्तमान धारित पद :- प्रभारी उप संचालक
 3. वर्तमान वेतन :- 80300/- 4. अगली वेतनवृद्धि की तारीख :- जुलाई-2025

उस जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		"वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम रहेंगी पो0 सिमरिया तहसील व जिला डिंडोरी	परिवार के निवास हेतु भवन जो कि पिता जी के नाम से है।	आवासीय 15 एकड़ लगभग सिंचित	25,00,000/-	पैत्रिक संपत्ति पिता-पुत्र	-	संयुक्त संपत्ति भूमि की उपज का संयुक्त परिवार में उपयोग होता है।	-
एकता चौक एमआर-4 एक्सटेंशन रोड विजयनगर जिला जबलपुर	प्लेट		50,00,000/-	स्वयं के नाम	बैंक ऋण व वेतन से बचत द्वारा	-	संचालनालय भोपाल के पत्र क्रमांक 2842/स्था/नग्रनि / भोपाल दिनांक 29.06.2021 द्वारा भवन कय करने की अनुमति प्रदान की गई है।

- जहां लागू न हो काट दीजिए।
 " ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 "" इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्यव्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे

हस्ताक्षर: 
 नाम: विनोद कुमार परस्ते
 पद: प्रभारी उपसंचालक तहसील डिंडोरी

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

सहायक सचिव

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो उदयेश कुमार शर्मा 2. वर्तमान धारित पद सहायक सचिव
 3. वर्तमान वेतन 67000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1/7/2025

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम - खालीवाड़ा ब्लॉक - बालपुर जिला - मुंडवा मध्य	-	0.41 हे	-	-	-	-	पति, संपत्ति बालपुर ब्लॉक मुंडवा जिला मध्य प्रदेश
ग्राम बालपुर मुंडवा ब्लॉक - बालपुर जिला - मुंडवा मध्य	गृह 25' x 40' = 1000 अ.म. 24905 पर माल 355 मुंडवा जिला मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवाना-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसने द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर Udayesh Kumar Sharma 20/11/25
 नाम उदयेश कुमार शर्मा
 पद सहायक सचिव

अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष जनवरी 2025

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : सारंग गुप्ता
 2 वर्तमान धारित पद : सहायक संचालक
 3 वर्तमान वेतन : 65000/--
 4 अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 1 जुलाई 2025

उप जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम,जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम पालदा इंदौर म0प्र0	आवासीय भवन	संस्कृति पाम कॉलोनी प्लाट नंबर 122, 127	80 लाख अनुमानित	पिता श्री नरेश गुप्ता के नाम पर	वर्ष 1992 मे पिताजी द्वारा स्वयं की कमाई से कय किया गया।	निरंक	निरंक
सपना संगीता रोड, असाना चेबर्स	दुकान नंबर जी-5	दुकान	25 लाख अनुमानित	डॉ प्रेमलता गुप्ता माताजी के नाम पर	वर्ष 1997 मे माताजी द्वारा स्वयं की कमाई से कय किया गया।	1,65,000 /-	निरंक
सपना संगीता रोड, असाना चेबर्स	दुकान नंबर जी-6	दुकान	25 लाख अनुमानित	माता श्रीमति प्रेमलता गुप्ता एवं पिता श्री नरेश गुप्ता के नाम पर	वर्ष 1997 मे माताजी द्वारा स्वयं की कमाई से कय किया गया।	1,00,000 /-	निरंक
ग्राम पालदा इंदौर म0प्र0	आवासीय प्लाट	4000 वर्गफीट 3000 वर्गफीट	48 लाख अनुमानित	माता श्रीमति प्रेमलता गुप्ता एवं पिता श्री नरेश गुप्ता के नाम पर	वर्ष 2012 मे माताजी एवं पिताजी द्वारा स्वयं की कमाई से कय किया गया।	निरंक	निरंक
ग्राम पालदा इंदौर म0प्र0	आवासीय प्लाट	2000 x 4 = 8000 वर्गफीट	55 लाख अनुमानित	माता श्रीमति प्रेमलता गुप्ता एवं पिता श्री नरेश गुप्ता के नाम पर	वर्ष 2013-14 मे माताजी एवं पिताजी द्वारा स्वयं की कमाई से कय किया गया।	निरंक	निरंक
स्पना संगीता रोड, असाना चेम्बर्स इंदौर	दुकान मेन 2	दुकान	60 लाख अनुमानित	डॉ प्रेमलता गुप्ता माताजी के नाम पर	वर्ष 2013-14 मे माताजी एवं पिताजी द्वारा स्वयं की कमाई से कय किया गया।	निरंक	निरंक

25, अग्रवाल नगर, (नई भूमि) इंदौर	आवासीय भवन (स्वयं रहवास)	आवासीय	1 करोड़ 20 लाख अनुमानित	पिताजी एवं माताजी के नाम से	दोनो द्वारा स्वयं की कमाई से वर्ष 2019 में बैंक से ऋण प्राप्त कर कय किया गया।	निरंक	निरंक
नवलखा मेनरोड इंदौर	गोडाउन	1500 x 2	30 लाख अनुमानित	पिता श्री नरेश गुप्ता के नाम पर	पैतृक संपत्ति द्वारा पिता श्री नरेश गुप्ता को प्राप्त	4,50,000	निरंक
चौहान खेड़ी (कनाडिया)	कृषि भूमि	2800 वर्गफीट	40 लाख अनुमानित	पिताजी एवं माताजी के नाम से	माताजी एवं पिताजी द्वारा स्वयं की कमाई से कय किया गया।	2,00,000	निरंक
रणमल बिल्लौद (देपालपुर)	कृषि भूमि	30,000 वर्गफीट	40 लाख अनुमानित	पिताजी एवं माताजी के नाम से	माताजी एवं पिताजी द्वारा स्वयं की कमाई से कय किया गया।	निरंक	निरंक

*वर्तमान मूल्य— कलेक्टर गाईडलाइन अनुसार लगभग मूल्य।

हस्ताक्षर :
नाम :
पद :
दिनांक :


.....
सारंग गुप्ता
सहायक संचालक
09/01/2025

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष जनवरी 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

अपूर्वा गंगराडे

2. वर्तमान धारित पद

सहायक संचालक

3. वर्तमान वेतन

67000/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01/07/2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① इटावसी जिला - होशंगाबाद (नर्मदापुरम्)	गृह	NA	40,00,000/- सात लाख मात्र	रानी गंगराडे संबंध - माता	खरीदा गया :- शिव शंकर तिवारी से दिनांक :- 2015	NA	NA

जहां लागू न हो काट दीजिए।

* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : माध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार होने की अवधि के परवाना सह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

अपूर्वा गंगराडे

सहायक संचालक

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

विपुल माहुले

2. वर्तमान धारित पद

सहायक संचालक

3. वर्तमान वेतन

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

जुलाई 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>निरका</u>							

- जहां लागू न हो काट दीजिए।
- ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचाय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसने द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

Vipul

नाम

Vipul Mahule

पद

Asst. Director

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : हरिओम चंद्रप्रकाश माहेश्वरी 2. वर्तमान धारित पद : सहायक संचालक

3. वर्तमान वेतन : 65,000 + DA अगली वेतनवृद्धि का तारीख : जुलाई 2025

उस जिले, उप-सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा स्वरि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम रामकोना तहसील सौरसर जिला पांडुरणा	गृह		लगभग ₹32,50,000/-	स्वयं	पट्टा दिनांक 01/05/2017 को पिता चंद्रप्रकाश माहेश्वरी से प्राप्त किया गया।		
ग्राम रामकोना तहसील सौरसर जिला पांडुरणा		भूमि	₹ 55,08,000/-	स्वयं	पिता चंद्रप्रकाश माहेश्वरी से दिनांक 29/12/2014 को प्राप्त किया गया।		
ग्राम छान तहसील हुजूर जिला भोपाल	भुखण्ड		₹ 20,25,000/-	स्वयं एवं पत्नी (श्रीमति रिता हरिओम माहेश्वरी)	स्वयं कि बचत एवं SBI बैंक से लोन ले कर दिनांक 27/06/2024 को क्रय किया गया।		

* जहां स्थान न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अचल सम्पत्ति पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने को अर्थात् के परवाना यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित स्वयं अपने निवास में पिट्टी या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के स्वरि हैं।

हस्ताक्षर

नाम हरिओम चंद्रप्रकाश माहेश्वरी

पद सहायक संचालक

13/01/2025

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : दशु सनाढ्य
2. वर्तमान धारित पद : सहायक संचालक
3. वर्तमान वेतन : 65000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख : जुलाई 2025


उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				जिरक			

- जहां लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परवाना यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद



दशु सनाढ्य

सहायक संचालक

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो डा. विनीता वती पैकरा 2. वर्तमान धारित पद सहायक संचालक संचालकलय नम्रानि अस्पताल
3. वर्तमान वेतन 65000+DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2025

उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल कॉट नं 18 अभिनव्यु अस्पताल	कॉट	—	approx 16-18 lacs	—	श्वरीदा —	Approx 70,000/-	—

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचार्ज यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

16/01/2025

नाम

डा. विनीता वती पैकरा

पद

सहायक संचालक

①

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : डॉ. नीलम सोनी

2. वर्तमान धारित पद

सहायक संचालक

3. वर्तमान वेतन 65,000 + DA... अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01/07/2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौर		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	फ्लैट	-	10 लाख	स्वयं के नाम से	HDFC Bank से लोन 9 लाख खपते	-	शासकीय सेवा में आने के पूर्व लिया है।

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अत्यन्तकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नवीने की अवधि के परचाल या घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौर दें।

हस्ताक्षर
 नाम डॉ. नीलम सोनी
 पद सहायक संचालक

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो. सावन कोचले 2. वर्तमान धारित पद सूबारी उपसंचालक
 3. वर्तमान वेतन 65000 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.08.2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौर		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौर	संपत्ति से धार्मिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>ग्राम श्रीकमंगोव</u> <u>तहसील श्रीकमंगोव</u> <u>जिला शरणा</u>	<u>भूमि</u> <u>(खोला)</u> <u>(20x50)</u>	—	<u>लगभग</u> <u>10 लाख</u>	<u>स्वयं</u>	<u>खरीदा गया</u>	—	

• जहां लागू न हो काट दीजिए।
 •• ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 ••• इसमें अल्यकॉलोन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परचाई पर घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसने द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौर दें।

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम सावन कोचले
 पद सूबारी उपसंचालक
नयानि शुभा

"फार्म"

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष-2025

1. शासकीय सेवक का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो:- सूश्री विनिता दर्श्यामकर
2. वर्तमान धारित पद:- सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश नीमच,
3. वर्तमान वेतन 65000+डी.ए.
4. आगमी वेतनवृद्धि की तारीख 01-जुलाई-2025

उस जिले उप संभाग, तालुका, तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरा गृह तथा भूमि अन्य भवन		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किस के नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद पट्टा बंध, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियु क्ति
	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा						
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
एच.आई.जी.506 बी.डी.ए. कॉम्प्लेक्स 7 स्टॉफ शिवाजी नगर भोपाल (म.प्र.)	भवन	--	60,00000 (साठ लाख)	स्वयं के नाम पर है।	विरासत में प्राप्त पेटृत सम्पत्ति	---	---

* जहाँ लागू न हो काट दिजिये।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहाँ वर्तमान स्थिती के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।

*** इसमें अल्पकालिन पट्टे भ सम्मिलित है।

टिप्पणी- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधिन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है, कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महिने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बन्धक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर-.....

नाम- सूश्री विनिता दर्श्यामकर

पद - प्रकारी उप संचालक

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, राधे

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो: नागेश पंडा 2. वर्तमान धारित पद: सहायक संचालक
 3. वर्तमान वेतन: 65000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख: 01/07/2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो:	संपत्ति का नाम तथा न्यौरा:		वर्तमान मूल्य	अदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ••• खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा न्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

1-23

• जहां लागू न हो, काट दो।
 •• ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में तटस्थ मूल्य नतलाया जाए।
 ••• इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (आवण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पर्याय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पड़े या पड़े गए सम्पत्तियों का विवरण देना आवश्यक है।

हस्ताक्षर: [Signature]
 नाम: नागेश पंडा
 पद: सहायक संचालक

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, राश्र

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो एडवोकेट कुंवर सिंह 2. वर्तमान धारित पद अधीनस्थ अंचलिक
 3. वर्तमान वेतन 65000/- + D.M. अगली वेतनवृद्धि की तारीख दिसम्बर 2019 01-07-2025

उत्त जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>श्रीम. कुंवर सिंह 2</u> <u>मिना - मीना 2</u>	<u>फ्लैट</u>	<u>—</u>	<u>50,000/-</u> <u>+ 24225/-</u> <u>(M.M.)</u>	<u>2019</u>	<u>डी.ए. मीना</u> <u>कन्या वंश</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

• जहां लागू न हो काट दीजिए।
 •• ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 ••• इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवकों (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहली की अवधि के पर्याप्त पाठ्य प्रमाण-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उत्तर में वह उनके स्वामित्व की तथा उसने द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे हैं।

हस्ताक्षर K. Anurag
 नाम एडवोकेट कुंवर सिंह
 पद अधीनस्थ अंचलिक
09/11/25

फार्म

CAD F0ma(W)1

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 01 जनवरी 2023-2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का(पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो

संकल्प शुक्ला

2. वर्तमान धारित पद

सहायक संचालक

3. वर्तमान वेतन

65000 + DA

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

जुलाई 2025

उस जिले उपसभाग, तालुक तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा श्रेणी		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उस किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, कृष्क, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा श्रेणी	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
जबलपुर	मातासीय भवन		60 लाख	श्री शीत कुमार शुक्ला (पिता)	खरीद	-	-
जबलपुर	मातासीय भवन		1 करोड़	श्रीमती उषा शुक्ला (माता)	खरीद	-	-

- जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी मध्य प्रदेश शासकीय संवक(आवरण)नियम, 1959 के नियम 18(3)के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि यह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उनके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या कृष्क पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर



नाम

संकल्प शुक्ला

पद

सहायक संचालक

26/03/2025